तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
5.8.21	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते हैं, साक्ष्य हेतु अवसर दिया जाता है, वास्ते पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत दिनांक 17.8.21 को पेश हो।
17.8.21	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने वादी की साक्ष्य हेतु शपथपत्र गवाह श्री भोजाराम खारोल, मोहनलाल सोनी, गणपत खटीक निवासियान भगवानपुरा के पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी अब कोई साक्ष्य हेतु शपथपत्र पेश नहीं करना चाहते है वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 7.9.21 को पेश हो।
7.9.21	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील वादी ने बहस करनी चाही। वकील वादीगण की बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 21.9.21 को पेश हो।
2/10/21	पत्रावली कैम्प ......केसियारा......को पेश हुई। आगामी दिनांक 04.01.22 को पेश हो।
04-01-22	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित वकील वादी ने पुन: बहस करनी चाही, वकील वादी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया। न्यायहित मे

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित हाल खाता सं. 1015 मे आराजी नम्बर 5095/363 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी नं. 5096/363 रकबा 0.5059 हैक्टेयर, आराजी नं. 5433/363 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि मे वादी को उक्त आराजियात के उपयोग-उपभोग मे एवं प्रतिवादी वादी की उक्त आराजियात को अपनी आराजी मे नहीं मिलावे और न प्रतिवादी वादी की आराजियात मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से करावे। वादी एवं प्रतिवादी मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा